[2013] 8 एस.सी.आर. 177

झारखंड राज्य और अन्य बनाम.

जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2013 का 6770)

14 अगस्त, 2013

[के.एस.] राधाकृष्णन और ए.के. सिकरी, जे. जे.]

सेवा कानून- पेंशन- राज्य सरकार पेंशन नियमों में ऐसे किसी भी प्रावधान के प्रभाव में विभागीय/ आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पेंशन और/ या ग्रेच्युटी के एक हिस्से को रोक रही है। स्वामित्व- आयोजितः ग्रेच्युटी और पेंशन इनाम नहीं हैं- यह मेहनत से अर्जित लाभ है जो एक कर्मचारी को प्राप्त होता है और "संपत्ति" की प्रकृति में है- संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का यह अधिकार नहीं लिया जा सकता है। बिहार पेंशन नियमों द्वारा शासित वर्तमान मामला, जैसा कि झारखंड राज्य पर लागू होता है - पेंशन नियमों के नियम 43 (बी) में यह स्पष्ट किया गया है कि विभागीय जांच पूरी होने के बाद भी सरकार को पेंशन आदि को रोकने की अनुमति है। केवल तभी जब विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाही में कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया था कि कर्मचारी ने अपने कार्यालय में रहते हुए अपने कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर कदाचार किया था- पेंशन/ ग्रेच्युटी को रोकने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है जब ऐसी विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही अभी भी लंबित थी- किसी भी वैधानिक प्रावधान के बिना और प्रशासनिक निर्देश के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा लेने या यहां तक कि नकदीकरण छोड़ने के लिए अपीलार्थी के प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता है- कार्यकारी निर्देशों का वैधानिक चरित्र नहीं है और इसलिए, अनुच्छेद 300 ए के अर्थ के भीतर "कानून" के रूप में नहीं कहा जा सकता है- ऐसे परिपत्र के आधार पर, जिसमें कानून का बल नहीं है, अपीलार्थी पेंशन या ग्रेच्युटी के एक हिस्से को भी रोक नहीं सकता है- बिहार पेंशन नियम, जैसा कि झारखंड राज्य पर लागू होता है - आर.43 (बी)-भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 300 ए।

एक सेवा कानून- पेंशन-आयोजितः पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को "संपत्ति" में अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

तत्काल अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह थाः क्या पेंशन नियमों में किसी भी प्रावधान के अभाव में, राज्य सरकार विभागीय/ आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पेंशन और/ या ग्रेच्युटी के एक हिस्से को रोक सकती है। उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर, आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, नकारात्मक में दिया था और इसलिए अपीलार्थी को प्रतिवादी को रोके गए बकाया को जारी करने का निर्देश दिया था। इसलिए झारखंड राज्य की वर्तमान अपील।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहाः

1.1. ग्रेच्युटी और पेंशन कोई उपहार नहीं हैं। एक कर्मचारी इन लाभों को अपनी लंबी, निरंतर, वफादार बेदाग सेवा से अर्जित करता है। इस प्रकार यह एक मेहनत से अर्जित लाभ है जो एक कर्मचारी को प्राप्त होता है और "संपत्ति" की प्रकृति में होता है। संविधान के अनुच्छेद 300 ए के प्रावधानों के अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति के इस अधिकार को नहीं खोया जा सकता है।
[पैरा 7,8] [184-ए; 185-बी-सी]

1.2. वर्तमान मामला बिहार पेंशन नियमों द्वारा शासित है, जैसा कि एफ झारखंड राज्य पर लागू होता है। उक्त पेंशन नियमों का नियम 43 (बी) राज्य सरकार को कुछ परिस्थितियों में पेंशन या उसके हिस्से को रोकने या वापस लेने की शक्ति प्रदान करता है। नियम 43 (ख) के पढ़ने से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि विभागीय जांच के निष्कर्ष के बाद भी, सरकार को पेंशन आदि को रोकने की अनुमति है। केवल तभी जब विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाही में कोई निष्कर्ष दर्ज किया जाता है कि कर्मचारी ने अपने कार्यालय में रहते हुए अपने कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर कदाचार किया था। पेंशन/ ग्रेच्युटी को रोकने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है जब ऐसी विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही अभी भी लंबित है।
[पैरा 9,11] [185-डी; 187- एफ-जी]

179 झारखंड राज्य और अन्य

बनाम.

जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव

1.3. तथ्य यह है कि कानूनी सिद्धांत में एक अभेद्यता है कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार "संपत्ति" में अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को इस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 300 ए में निहित संवैधानिक जनादेश है। यह इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा किसी वैधानिक प्रावधान के बिना और प्रशासनिक निर्देश के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा लेने या यहां तक कि छुट्टी भुनाने के प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कार्यकारी निर्देशों की वैधानिक प्रकृति नहीं है और इसलिए, उपरोक्त अनुच्छेद 300 ए के अर्थ के भीतर "कानून" नहीं कहा जा सकता है। ऐसे परिपत्र के आधार पर, जिसमें विधि का बल नहीं है, अपीलार्थी पेंशन या उपदान के एक भाग को भी रोक नहीं सकता है। जहां तक वैधानिक नियमों का संबंध है, दी गई स्थिति में पेंशन या ग्रेच्युटी को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान होता तो स्थिति अलग होती।
[पैरा 13,14 और 15] [192-0-ई, जी-एच; 193-ए-बी]

संत राम शर्मा बनाम भारत संघ **1968 (1) एससीआर 111-लागू नहीं।**

D.S. नाकाड़ा और अन्य बनाम भारत संघ (1983) 1 एस. सी. सी. 305:1983 (2) एस. सी. आर. 165; *देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य* (1971) 2 एस. सी. सी. 330: 1971 (0) पूरक। एस. सी. आर. 634 और *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम हरेश सी. बाने!जी और अन्य*। (2006) 7 SCC 651: 2006(5) पूरक एससीआर 620- पर निर्भर।

डॉ. दुधनाथ पांडे बनाम झारखंड राज्य और अन्य।
2007 (4) जेसीआर 1-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः

2007 (4) जे. सी. आर. 1 पैरा 4 को निर्दिष्ट

1968 (1) एससीआर 111	लागू नहीं	पैरा 5
1983 (2) एससीआर 165	पर भरोसा किया	पैरा 5
1971 पर निर्भर (0) पूरक	पर भरोसा किया	पैरा 12
2006 (5) पूरक एस. सी. आर 620	पर भरोसा किया	पैरा 13

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 2013 का 6770.

रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय के 31.10.2007 के निर्णय और आदेश से एल.पी.ए. नं. 2005 का 678 में .

सीए. नं 2013 का 6771. के साथ

अपीलार्थियों की ओर से अमरेंद्र शर्मा, अनिल के. झा, प्रियंका त्यागी।

जे.एस. अत्री, गौरव में शर्मा, बी.के. शर्मा, प्रियंका भारिहोक, सुषमा सूरी, राजीव शंकर द्विवेदी उत्तरदाताओं के लिए ।

न्यायालय का निर्णय **ए.के. सिकरी, जे1**. द्वारा दिया गया था। अनुमति मंजूर की गई।

2. इन मामलों में विचार करने के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि राज्य सरकार की नियुक्तियों के अभाव रहने के दौरान पेंशन और ग्रेच्युटी के एक हिस्से को किस प्रकार रोका जाता है। हो सकता है उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर आक्षेप निर्णय के माध्यम से नकारात्मक दिया हो इसलिए अपीलार्थी को प्रतिवादी को रोकने के लिए निर्देश दिया हो । इस नतीजे से नाख़ुश झारखंड राज्य ने यह प्रतिज्ञा अपील दी है।

3. सुविधा के लिए हम सिविल अपील एसएलपी (सिविल) संख्या से उत्पन्न 2009 का 1427 हां से तथ्य इकट्ठा करेंगे ।

181 झारखंड राज्य और अन्य

बनाम.

जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ए.के. सिकरी, जे

जिन तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो उपरोक्त कानून के प्रश्न को जन्म देते हैं निम्नलिखित हैं:

प्रतिवादी पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग में काम कर रहे थे। वह 2.11.1966 को बिहार सरकार में उक्त विभाग में शामिल हुए। 16.4.1996 को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ- साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 1990-1991 और 1991-1992 के दौरान गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जब वह कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, रांची के रूप में तैनात थे। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की उद्घोषणा पर झारखंड राज्य (इसमें अपीलार्थी) अस्तित्व में आया और प्रत्यर्थी अपीलार्थी राज्य का कर्मचारी बन गया। प्रतिवादी के खिलाफ उपरोक्त दो आपराधिक मामलों के संबंध में अभियोजन लंबित है। 30 जनवरी, 2002 को अपीलार्थी ने उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया। जबकि ये कार्यवाहियां सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक अभी भी लंबित थीं, प्रतिवादी 31.08.2002 को कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, रांची के पद से सेवानिवृत्त हुए। अपीलार्थी ने 25.5.2003 को सामान्य भविष्य निधि को जारी करने और भुगतान करने की मंजूरी दी।

इसके पश्चात्, 18.3.2004 को, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को 90 प्रतिशत अनंतिम पेंशन मंजूर की। शेष 10 प्रतिशत पेंशन और उनकी निलंबन अवधि (30.1.2002 से 30.8.2002) के वेतन को उनके खिलाफ आपराधिक मामलों/ विभागीय जांच के परिणाम के लंबित रहने तक रोक दिया गया था। उन्हें छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी का भी भुगतान नहीं किया गया था।

4. अपनी पेंशन के 10 प्रतिशत को रोके जाने और अन्य उपरोक्त देय राशि को जारी न करने की इस कार्रवाई से व्यथित महसूस करते हुए, प्रत्यर्थी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। इस रिट याचिका का निपटान उच्च न्यायालय द्वारा अस्थायी पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने के लिए मामले को विभाग को वापस भेजकर किया गया था। संकल्प सं. 3014 दिनांक 31.7.1980. इसके बाद, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन पर विचार किया लेकिन दिनांक 16.3.2006 के आदेशों को अस्वीकार कर दिया और उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर करके अस्वीकृति को चुनौती दी।

उक्त याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। प्रत्यर्थी ने अंतर न्यायालय अपील दायर की जिसे खंड पीठ द्वारा दिनांक 31.10.2007 के आक्षेपित आदेशों के माध्यम से अनुमति दी गई है। खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि यह प्रश्न डॉ. दुधनाथ पांडे बनाम झारखंड राज्य और अन्य2007 (4) जेसीआर 1. के मामले में उस न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.8.2007 के उक्त पूर्ण पीठ के निर्णय में, विषय की विभिन्न बारीकियों पर विस्तृत चर्चा के बाद यह अभिनिर्धारित किया हैः

"इन दोनों प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में इस प्रकार हैः

(i) बिहार पेंशन नियमों के नियम 43 (ए) और 43 (बी) के तहत, सरकार के पास विभागीय कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ग्रेच्युटी और पेंशन को रोकने की कोई शक्ति नहीं है। यह कार्यवाही से पहले या कार्यवाही के समापन के बाद किसी भी स्तर पर छुट्टी नकदीकरण को रोकने की कोई शक्ति नहीं देता है।

(ii) छुट्टी नकदीकरण को रोकने के संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र मामले के वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होगा क्योंकि इसमें कानून की कोई पवित्रता नहीं है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अमरेंद्र शरण ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जहां तक पेंशन नियमों का संबंध है, पेंशन या ग्रेच्युटी के एक हिस्से को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसे प्रशासनिक निर्देश हैं जो पेंशन और ग्रेच्युटी के एक हिस्से को रोकने की अनुमति देते हैं। उनका निवेदन था कि जब नियम किसी विशेष पहलू पर चुप रहते हैं, तो इस अंतर को प्रशासनिक निर्देशों से भरा जा सकता है, जो कि काफी पहले वर्ष 1968 में संत राम मामले में इस अदालत की संविधान पीठ के निर्णय द्वारा निर्धारित की गई थी।

शर्मा बनाम भारत संघ 1968 (1) एससीआर 111. इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि अनुशासनात्मक/ आपराधिक कार्यवाही लंबित रहने तक पेंशन या ग्रेच्युटी के हिस्से को रोकने की सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है।

6. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, संत राम शर्मा के फैसले के आधार पर विद्वान वरिष्ठ वकील की उपरोक्त दलीलें किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगी, क्योंकि इस मामले में कोई प्रयोज्यता नहीं है। संत राम का निर्णय प्रशासनिक कानून के सिद्धांत को नियंत्रित करता है जिसमें संविधान पीठ ने यह सिद्धांत निर्धारित किया कि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियम में एक अधिनियम में निहित शक्तियों के लिए वैधानिक बल भी होगा। हालांकि प्रशासन सुचारू प्रशासनिक कार्य के लिए प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन ऐसे प्रशासनिक निर्देश नियमों का स्थान नहीं ले सकते हैं। हालांकि, ये प्रशासनिक निर्देश उन स्थितियों का ध्यान रखते हुए वैधानिक नियमों का पूरक हो सकते हैं जहां वैधानिक नियम चुप हैं। उस निर्णय के इस अनुपात को निम्नलिखित तरीके से वर्णित किया गया हैः

पीठ ने कहा, "यह सच है कि चयन ग्रेड पदों पर कनिष्ठ या वरिष्ठ ग्रेड अधिकारियों की पदोन्नति के सिद्धांत को निर्धारित करने वाले नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक इस संबंध में वैधानिक नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक सरकार चयन ग्रेड पदों पर संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति में पालन किए जाने वाले सिद्धांत के बारे में प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है। यह सच है कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं ले सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप रहते हैं तो सरकार कमियों को भर सकती है और नियमों को पूरा कर सकती है और पहले से बनाए गए नियमों के साथ असंगत निर्देश जारी कर सकती है।

कानून के इस स्पष्टीकरण पर कोई विवाद नहीं हो सकता है जो संत राम शर्मा मामले के बाद भी सुनाए गए निर्णयों की एक श्रृंखला में अच्छी तरह से आधारित है। हालाँकि, वर्तमान मामले में जो सवाल उठाया गया है वह पूरी तरह से अलग है।

7. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि ग्रेच्युटी और पेंशन इनाम नहीं हैं। एक कर्मचारी इन लाभों को अपनी लंबी, निरंतर, वफादार और बेदाग सेवा से अर्जित करता है। वैचारिक रूप से यह इतना स्पष्ट रूप से डी.एस. नाकाड़ा और अन्य बनाम भारत संघ ; (1983) 1 एस सी सी 305 न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई में वर्णित है जिन्होंने बेंच के लिए अपनी अनूठी शैली में निम्नलिखित शब्दों में बात कीः

"उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण और बहुत आसान जवाब देता है, इस सवाल का कि पेंशन का भुगतान क्यों किया जाता है और इसे उदार बनाने की आवश्यकता क्यों थी? क्या नियोक्ता, जिस अभिव्यक्ति में राज्य भी शामिल होगा, पेंशन का भुगतान करने के लिए बाध्य है? क्या नियोक्ता पर रोजगार का अनुबंध समाप्त होने और कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान करना बंद करने के बाद भी पूर्व कर्मचारी के लिए प्रावधान करने का कोई दायित्व है?

पेंशन क्या है? पेंशन के लक्ष्य क्या हैं? यह किस जनहित या उद्देश्य, यदि कोई हो, की सेवा करना चाहता है? यदि यह किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है, तो क्या यह एक निश्चित तिथि से पहले और बाद में सेवानिवृत्ति के इस तरह के कृत्रिम विभाजन से विफल हो जाता है? हमें इन और आनुषंगिक प्रश्नों के उत्तर खोजने की आवश्यकता है ताकि इस याचिका के पक्षों के बीच न्याय प्रदान किया जा सके।

देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले में संविधान पीठ के फैसले के तहत पेंशन के एक उपहार होने की पुरानी धारणा- नियोक्ता की मीठी वसीयत या अनुग्रह के आधार पर एक मुफ्त भुगतान, जो एक अधिकार के रूप में दावा करने योग्य नहीं है और इसलिए, पेंशन के किसी भी अधिकार को अदालत के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है।

[1971] सु. एस.सी.आर. 634 जिसमें इस न्यायालय ने प्राधिकृत रूप से निर्णय दिया कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि नियमों द्वारा शासित है और उन नियमों के भीतर आने वाला एक सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का हकदार है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि पेंशन का अनुदान किसी के विवेक पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से है।

सेवा और अन्य संबद्ध शर्तों को ध्यान में रखते हुए कि प्राधिकरण के लिए इस आशय का आदेश पारित करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन पेंशन प्राप्त करने का अधिकार अधिकारी को ऐसे किसी आदेश के कारण नहीं, बल्कि नियमों के आधार पर प्रवाहित होता है। पंजाब और अन्य राज्य बनाम. इकबाल सिंह (1976) एलएलएलजे 377 एससी "में इस विचार की पुष्टि की गई।

8. इस प्रकार यह एक मेहनत से अर्जित लाभ है जो एक कर्मचारी को प्राप्त होता है और "संपत्ति" की प्रकृति में होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के प्रावधानों के अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति के इस अधिकार को नहीं खोया जा सकता है।

9. कानूनी स्थिति को समझाने के बाद, आइए पहले पेंशन जारी करने से संबंधित नियमों पर चर्चा करें। वर्तमान मामला बिहार पेंशन नियमों द्वारा शासित है, जैसा कि झारखंड राज्य पर लागू होता है। उक्त पेंशन नियमों का नियम 43 (बी) राज्य सरकार को कुछ परिस्थितियों में पेंशन या उसके हिस्से को रोकने या वापस लेने की शक्ति प्रदान करता है। यह नियम

> 43 (बी) इस प्रकार हैः
> "43 (बी) राज्य सरकार किसी पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है, और यदि पेंशनभोगी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, या सरकारी कदाचार को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, या सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा सहित अपनी सेवा के दौरान कदाचार या लापरवाही से सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, तो सरकार को हुए किसी भी आर्थिक नुकसान की पूरी या आंशिक पेंशन से वसूली का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

उपर्युक्त नियम 43 (बी) को पढ़ने से निम्नलिखित स्थिति सामने आती हैः-

(i) राज्य सरकार के पास पेंशन या उसके किसी भी हिस्से को रोकने या निकालने की शक्ति है जब पेंशनभोगी को विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है।

(ii) यह प्रावधान राज्य को विभाग की कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उक्त शक्ति का उपयोग करने का अधिकार नहीं देता है।

(iii) उपरोक्त कार्यवाहियों के परिणाम की परवाह किए बिना इस नियम के तहत राज्य को छुट्टी नकदीकरण रोकने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

(iv) इस शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कार्यवाही को दोषी पाते हुए समाप्त किया जाता है और इससे पहले नहीं।

10. नियम 43 (बी) का एक प्रावधान भी है जो प्रदान करता है किः-

ऐसी विभागीय कार्यवाही, उस समय शुरू नहीं की गई थी जब सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले या पुनर्नियुक्ति के दौरान ड्यूटी पर था।

i. राज्य सरकार की मंजूरी के अलावा इसकी स्थापना नहीं की जाएगी।

ii. ऐसी घटना के संबंध में होगी जो ऐसी कार्यवाही की स्थापना से चार साल से अधिक पहले नहीं हुई थी।

iii. ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान या स्थानों पर संचालन किया जाएगा जो राज्य सरकार निर्देशित करे और कार्यवाही पर लागू प्रक्रिया के अनुसार जिस पर सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता हैः-

खंड (ए) और सी के उपखंड (ii) के अनुसार न्यायिक कार्यवाही, यदि उस समय शुरू नहीं की गई थी जब सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले या पुनर्नियुक्ति के दौरान ड्यूटी पर था, अंतिम आदेश पारित करने से पहले बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

यह स्पष्ट है कि नियम 43 (बी) में इन विभागों के कार्यवाहियों को शामिल करने के बारे में बात की गई है, नियम 43 (बी) में कुछ प्रावधान हैं, अर्थात, नियम 43 (बी) में इन विभागों के कार्यवाहियों को दर्शाया गया है, यदि सरकारी कर्मचारी के कर्तव्य रहते हुए इसे स्थापित नहीं किया गया है, तो इसके अलावा इसे स्थापित नहीं किया जाएगाः-

(क) सरकार की मंजूरी के साथ,

(ख) यह एक ऐसी घटना के संबंध में होगा जो कार्यवाहियों की स्थापना से चार साल से अधिक पहले नहीं हुई थी।

(ग) ऐसी कार्यवाहियां जांच अधिकारी द्वारा उन कार्यवाहियों के अनुसार संचालित की जाएंगी जिनके द्वारा सेवाओं को बर्खास्त किया जा सकता है।

इस प्रकार, जहां तक उस परन्तुक का संबंध है जो कार्यवाहियों को आरंभ करने की शर्त और -परिसीमा की अवधि से संबंधित है जिसके भीतर ऐसी कार्यवाहियों को प्रारंभ किया जा सकता है।

11. नियम 43 (बी) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि विभागीय जांच के समापन के बाद भी सरकार को पेंशन आदि को रोकने की अनुमति है। केवल तभी जब विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाही में कोई निष्कर्ष दर्ज किया जाता है कि कर्मचारी ने अपने कार्यालय में रहते हुए अपने कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर कदाचार किया था। जब ऐसी विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही अभी भी लंबित है तो पेंशन/ ग्रेच्युटी को रोकने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है।.

12. *देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार* राज्य (1971) 2 एस. सी. सी. 330 राज्य मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय द्वारा पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को संपत्ति के अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। जैसा कि निम्नलिखित चर्चा से स्पष्ट हैः

29. अंतिम प्रश्न यह है कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी को पेंशन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए संविधान के सिद्धांत 19 (1) (एफ) और 31 (1) को आकर्षित किया जा सकता है। इस प्रश्न का निर्णय इस बात पर विचार करने के लिए किया गया है कि क्या रिट फाइल शीट 32 के तहत बनाए रखना उचित है। इस सिद्धांत के लिए, हम पहले ही आगे बढ़ रहे हैं और अब हम उसी पर विचार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

30. याचिकाकर्ता के अनुसार पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति है और प्रतिवादियों ने 12 जून, 1968 के एक कार्यकारी आदेश द्वारा गलत तरीके से उनकी पेंशन रोक दी है। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 (1) {एफ) और 31 (1) के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। प्रत्यर्थी, जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, याचिकाकर्ता के पेंशन प्राप्त करने के अधिकार पर विवाद नहीं करते हैं, बल्कि 5 अगस्त, 1966 को पारित आदेश के लिए करते हैं। जवाबी- हलफनामे में केवल एक अस्पष्ट कथन है कि विचार के लिए किसी भी मौलिक अधिकार का कोई सवाल नहीं उठता है। श्री झा, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील, यह स्थिति लेने के लिए तैयार नहीं थे कि पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में संपत्ति नहीं माना जा सकता है। उनके अनुसार, इस मामले में राज्य द्वारा पेंशन देने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। हम विद्वान वकील को यह आग्रह करने के लिए समझते हैं कि यदि राज्य ने पेंशन प्रदान करने का आदेश पारित किया था और बाद में उस आदेश से पुनर्वास किया था, तो बाद के आदेश को संपत्ति के संबंध में याचिकाकर्ता के अधिकार को प्रभावित करने के लिए माना जा सकता है ताकि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और 31 (1) को आकर्षित किया जा सके।

31. हम उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। पेंशन नियमों में सामग्री प्रावधानों के संदर्भ में, हमने पहले ही संकेत दिया है कि पेंशन का अनुदान इस आशय का आदेश प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने पर निर्भर नहीं करता है।

यह हो सकता है कि सेवा की अवधि और अन्य संबद्ध मामलों को ध्यान में रखते हुए राशि की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, अधिकारियों के लिए इस आशय का आदेश पारित करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन पेंशन प्राप्त करने का अधिकार एक अधिकारी को उक्त आदेश के कारण नहीं बल्कि नियमों के आधार पर प्रवाहित होता है। नियम, हम पहले ही बता चुके हैं, याचिकाकर्ता जैसे व्यक्तियों के उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता देते हैं।

32. यह प्रश्न कि क्या लोक सेवक को दी गई पेंशन अनुच्छेद 31 (1) को आकर्षित करने वाली संपत्ति है, भगवंत सिंह बनाम भारत संघ ए. आई.आर. 1962 पुन 503 में पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसा अधिकार "संपत्ति" का गठन करता है और कोई भी हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 31 (1) का उल्लंघन होगा। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य एक कार्यकारी आदेश द्वारा लोक सेवक के पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को कम या पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है। यह निर्णय एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया था। यह निर्णय भारत संघ द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील में लिया गया था। भारत संघ बनाम भगवंत सिंह आई.एल.आर 1965 पुन 1 में अपने फैसले में लेटर्स पेटेंट बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को मंजूरी दी। लेटर्स पेटेंट बेंच ने कहा कि एक लोक सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर दी गई पेंशन संविधान के अनुच्छेद 31 (1) के अर्थ के भीतर "संपत्ति" है और उसे केवल कानून के अधिकार से वंचित किया जा सकता है और पेंशन केवल इनकार या रद्द करने पर संपत्ति नहीं रह जाती है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि "संपत्ति" के रूप में पेंशन के चरित्र में संभवतः किसी विशेष व्यक्ति या प्राधिकरण की सनक पर इस तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है।

33. यह मामला फिर से के आर एरी बनाम पंजाब राज्य I.L.R. 1967 पी एंड एच 278. में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के सामने आया। उच्च न्यायालय को पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी के अधिकार की प्रकृति पर विचार करना था। बहुमत ने उसी उच्च न्यायालय के पहले के दो निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, और यह अभिनिर्धारित किया कि पेंशन को सरकार की मीठी इच्छा और खुशी पर देय इनाम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसकी राशि सहित सेवानिवृत्ति पेंशन का अधिकार एक सरकारी कर्मचारी में निहित एक मूल्यवान अधिकार है, बहुमत द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही अधिकारी को अपनी ओर से चूक या कदाचार के लिए दंड अधिरोपित करने के विरुद्ध कारण बताने के लिए पहले ही एक अवसर प्रदान किया जा चुका है और वह दोषी पाया गया है, फिर भी, जब उसके विरुद्ध पहले से ही साबित किए गए कदाचार के आधार पर किसी अधिकारी को देय पेंशन की मात्रा में कटौती करने की मांग की जाती है, तो उस संबंध में कारण दिखाने का एक और अवसर अधिकारी को दिया जाना चाहिए। आगे अवसर देने के संबंध में यह विचार विद्वान न्यायाधीशों द्वारा संगत पंजाब सिविल सेवा नियमों के आधार पर व्यक्त किया गया था। लेकिन विद्वान मुख्य न्यायाधीश अपने असहमत निर्णय में बहुमत से सहमत होने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसी परिस्थितियों में राज्य द्वारा देय पेंशन की राशि में कमी किए जाने पर एक अधिकारी को और अवसर दिया जाना चाहिए। हमारे लिए इस मामले में इस सवाल पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या पहले से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर पेंशन को कम करने या अस्वीकार करने के माध्यम से कार्रवाई करने से पहले, एक अधिकारी को कारण बताने के लिए एक और नोटिस दिया जाना चाहिए। यह सवाल हमारे सामने विचार के लिए नहीं है। न ही हम झारखंड और अन्य राज्य की प्रक्रिया, यदि कोई हो, के संबंध में आगे के प्रश्न से संबंधित हैं किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद पहली बार पेंशन को कम करने या रोकने से पहले अधिकारियों द्वारा अपनाया जाने से।

इसलिए हम इस पहलू पर पंजाब उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में बहुमत और अल्पसंख्यक न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन हम बहुमत के दृष्टिकोण से सहमत हैं जब उसने अपने पहले के निर्णय को मंजूरी दे दी है कि पेंशन सरकार की मीठी इच्छा और खुशी पर देय इनाम नहीं है और दूसरी ओर, पेंशन का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है जो एक सरकारी कर्मचारी में निहित है।

34. यह न्यायालय मध्य प्रदेश राज्य बनाम रनोजी राव शिंदे और अन्य में मनु/ अनुसूचित जाति/ 0030/ 1968: [1968] 3एससीआर 489 को इस प्रश्न पर विचार करना था कि क्या "नकद अनुदान" संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और 31 (1) में उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर "संपत्ति" है। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह संपत्ति है, यह देखते हुए कि "यह स्पष्ट है कि धन राशि का अधिकार संपत्ति है"।

35. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता का पेंशन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 31 (1) के तहत संपत्ति है और केवल एक कार्यकारी आदेश द्वारा राज्य के पास कोई शक्ति नहीं थी।

किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद पहली बार पेंशन को कम करने या रोकने से पहले अधिकारियों द्वारा अपनाया जाना। इसलिए हम इस पहलू पर पंजाब उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में बहुमत और अल्पसंख्यक न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन हम बहुमत के दृष्टिकोण से सहमत हैं कि जब उसने अपने पहले के निर्णय को मंजूरी दे दी है कि पेंशन सरकार की मीठी इच्छा और खुशी पर देय इनाम नहीं है और दूसरी ओर, पेंशन का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है जो एक सी सरकारी कर्मचारी में निहित है।

34. मध्य प्रदेश राज्य बनाम रनोजीराव शिंदे और अन्य में यह न्यायालय मनु/अनुसूचित जाति/0030/1968: [1968] 3एससीआर489 को इस प्रश्न पर विचार करना था कि क्या "नकद अनुदान" संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और 31 (1) में उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर "संपत्ति" है। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह संपत्ति है, यह देखते हुए कि "यह स्पष्ट है कि धन राशि का अधिकार संपत्ति है"।

35. उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता का पेंशन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 31 (1) के तहत संपत्ति है और केवल एक कार्यकारी आदेश द्वारा राज्य को इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं थी। इसी तरह, उक्त दावा भी अनुच्छेद 19 (1) (च) के तहत संपत्ति है और यह अनुच्छेद 19 के उप- अनुच्छेद (5) द्वारा सहेजा नहीं गया है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता को पेंशन प्राप्त करने के अधिकार से इनकार करने वाला 12 जून, 1968 का आदेश संविधान के अनुच्छेद जी 19 (1) (एफ) और 31 (1) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, और इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका बनाए रखने योग्य है। ऐसा हो सकता है कि पेंशन अधिनियम (1871 का अधिनियम 23) के अधीन सिविल न्यायालय के विरुद्ध उसमें उल्लिखित मामलों से संबंधित किसी वाद पर विचार करने के लिए एक अवरोधक है। वह कानून के अनुसार पेंशन के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर उचित रूप से विचार करने के लिए राज्य को जारी किए जा रहे रिट ऑफ मैंडमस के रास्ते में खड़ा नहीं होता है।

बनाम

जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ए.के. सिकरी, जे

13. *पश्चिम बंगाल राज्य बनाम हरेश सी. बनर्जी और अन्य* (2006) 7 धारा 651, इस न्यायालय ने मान्यता दी कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और अनुच्छेद 31 (1) के निरसन के पश्चात् संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 लागू 20 जून, 1979 से, संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया था, यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार था, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 300 ए में प्रदान किया गया था। पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को संपत्ति का अधिकार माना जाता था। अन्यथा, उस मामले में पश्चिम बंगाल सेवा (मृत्यु- सह- सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1971 के नियम 10 (1) को चुनौती दी गई थी, जिसने राज्यपाल को कुछ परिस्थितियों में पेंशन या उसके किसी भी हिस्से को रोकने या वापस लेने का अधिकार प्रदान किया था और उक्त चुनौती को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। तथ्य यह है कि कानूनी सिद्धांत में एक अभेद्यता है कि पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को "संपत्ति" में अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

14. भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए में के तहत कहा गया हैः

"300 ए व्यक्तियों को कानून के अधिकार के अलावा संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। - कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

एक बार जब हम उस आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो इस निर्णय की शुरुआत में हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट हो जाता है। कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को इस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 300 ए में निहित संवैधानिक जनादेश है। यह इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा किसी वैधानिक प्रावधान के बिना और प्रशासनिक निर्देश के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा लेने या यहां तक कि छुट्टी को भुनाने के प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

15. इस बात पर शायद ही जोर दिया जाना चाहिए कि कार्यपालिका के निर्देशों का वैधानिक चरित्र नहीं है और इसलिए, उपरोक्त अनुच्छेद 300 ए के अर्थ के भीतर इसे "कानून" नहीं कहा जा सकता है। ऐसे परिपत्र के आधार पर, जिसमें कानून का बल नहीं है, अपीलार्थी पेंशन या उपदान के एक हिस्से को भी रोक नहीं सकता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, जहां तक वैधानिक नियमों का संबंध है, दी गई स्थिति में पेंशन या ग्रेच्युटी को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान होता तो स्थिति अलग होती।

16. तदनुसार, हम पाते हैं कि तत्काल अपीलों में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश दोषरहित है। तदनुसार, इन अपीलों को रुपये 10, 000/- प्रत्येक की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है ।

. **याचिकाएं खारिज कर दी गईं।**

यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।